

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा



बेदासीन अधिकारी— नरेश कुमार शर्मा
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 21/2018

पप्पू पुत्र रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम मित्रपुरा तहसील व जिला दौसा ...अपी0
बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार, दौसा

...रेस्पो0

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 08.11.2017
व न्यायालय नायब तहसीलदार, दौसा

उपस्थित : 1.श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 23.07.18

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनांक 08.11.2017 को ग्राम मित्रपुरा के आ0ख0न0 235 रकबा 0.10 है0 किस्म जमीन चरागाह पर अपीलांट को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील है कि पटवारी हल्का द्वारा निहायत झूठी रिपोर्ट की है। अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना एवं बिना मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया बल्कि अपीलांट की स्वयं की चरागाह भूमि से लगती हुई खातेदारी भूमि है। जिस पर अपीलांट ने पुख्ता निर्माण करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया का पालना नहीं करते हुए इकतरफा पक्षपातपूर्ण आदेश पारित कर दिया गया। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से चरागाह भूमि पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट स्वयं

अपील में यह कहकर आया है कि उसने पुख्ता निर्माण करवाया है। इसलिए बिना अधिकार के मकान बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जाँच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जाँच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस बाद तामिल संलग्न पत्रावली है। अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए। ऐसी स्थिति में अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में " पक्का डण्डा बनाकर " व कैफियत में पुराना अतिक्रमण होना अंकित कर अतिक्रमण करना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा चरागाह भूमि पर पहले से ही अतिक्रमण कर रखा है। अपीलांत स्वयं अपनी अपील में यह कहकर आया है कि उसने स्वयं ने पक्का निर्माण करवाया है। अपीलांत का बिना अधिकार के मकान बनाकर रहना ही अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अपीलांत द्वारा अपने कथनों की पुष्टि में प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए जिससे उनके कथन की पुष्टि नहीं होती है। वर्तमान में भूमि सिवायचक अंकित है। अतः पटवारी हल्का की रिपोर्ट में कोई संदेह नहीं है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण कर रखा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतिक्रमण के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक:23 जुलाई, 2018 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

